प्रेस नोट

05.11.2021

थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तर्गत भार गांव में युवक की हत्या मामलें का हुआ खुलाशा, घटना में संलिप्त तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल लोहे की कुल्हाड़ी व फावड़ा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 542/21 धारा 302,201,120बी भादवि में वांछित अभियुक्तगण योगेश शर्मा, विपिन शर्मा, मुकेश शर्मा पुत्रगण भरत शर्मा निवासीगण भार थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक लोहे की कुल्हाड़ी व फावड़ा बरामद कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.10.2021 को थाना स्थानीय पर भार गांव में एक युवक का शव गांव के पास ही एक कुएं में मिलने की सूचना मिली जिसकी जांच की गयी तो पता चला कि उक्त शव गांव के ही दिलीप पाण्डेय पुत्र रामाश्रय पाण्डेय निवासी भार थाना सरायलखंसी की है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में ही गुमशुदगी दर्ज है। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर दो नामजद व एक अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 542/21 धारा 302,201,120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त अभियुक्तों से जब कड़ाई से पुछताछ किया गया तो घटना कारित करने का स्वीकार करते हुये बताये कि योगेश शर्मा व मुकेश शर्मा द्वारा हत्या किया गया है और विपिन शर्मा द्वारा अपनी मोटरसाइकिल योगेश शर्मा को देकर साजिश रचकर हत्या करवाया गया है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करनें मामलें में एक व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.11.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सलाहाबाद मोड़ से मु0अ0सं0 552/21 धारा 295 भादवि0 3(1)द एससीएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त प्रमोद चौहान उर्फ टुन्ना चौहान पुत्र केदार चौहान निवासी तेन्दुली थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 गिरफ्तार –

आज दिनांक 05.11.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा काछीकला से पप्पू साहनी पुत्र अशोक साहनी निवासी वाजीदपुरा थाना कोपगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना मधुबन पुलिस द्वारा धर्मपुर विसूनपुर से इन्द्रदेव चौहाना पुत्र लगन चौहान निवासी सिसवा बबुआ थाना मधुबन के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।